न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नांवा (नागौर) राज.

पीठासीन अधिकारी :– श्री एस.एम.शाह, आर.ए.एस.

वादी :– बनाम प्रतिवादीगण :–

1. धन्नाराम गोदपुत्र गुलाराम
   जाति जाट सा. शिम्भुपुरा

बनाम

1. मीरादेवी पत्नी कालुराम जाट
2. हीराराम पुत्र कालूराम जाट
3. जगदीशप्रसाद पुत्र कालूराम जाट
4. बंशीराम पुत्र कालूराम जाट
5. रघुनाथ पुत्र कालूराम जाट
6. शिवकरण पुत्र कालूराम जाट
7. ब्रदीनारायण पुत्र भूराराम अहीर
8. नाथूराम पुत्र लिछमणराम जाट
9. मंगलीदेवी पत्नी मंगलाराम जाट
10. शिवपाल पुत्र मंगलाराम जाट
11. नेमीचंद पुत्र मंगलाराम जाट
12. धन्नीदेवी बेवा पेमाराम जाट
13. भीवाराम पुत्र पेमाराम जाट
14. मोहनराम पुत्र पेमाराम जाट
15. नारायणीदेवी बेवा जीवणराम
16. डालूराम पुत्र जीवणराम जाट
17. कजोडराम पुत्र जीवणराम जाट
18. कज्जाराम पुत्र मंगलाराम जाट
19. गलकुदेवी पत्नी मंगलाराम जाट
20. भंवरीदेवी बेवा लादूराम मेघवंशी
21. छीतर पुत्र लादूराम मेघवंशी
22. दयालराम पुत्र लादूराम मेघवंशी
23. रामेश्वर पुत्र बेणा मेघवंशी
24. पप्पूराम पुत्र बेणा मेघवंशी
25. प्रेमाराम पुत्र मालूराम मेघवंशी
26. तुलछाराम पुत्र छोटू मेघवंशी
27. रूगाराम पुत्र छोटू मेघवंशी
28. रिछपाल पुत्र छोटू मेघवंशी
    सा. सभी शिम्भुपुरा तह. नांवा
29. शाखा प्रबन्धक एस.बी.बी.जे. बैंक मारोठ
30. तहसीलदार नांव
31. दुलाराम पुत्र गीदाराम यादव सा. मुण्डगसोई

दावा बाबत :– खातेदारी अधिकारो की घोषणा व बंटवारा

उपस्थित :– श्री राजेन्द्रकुमार शर्मा वकील वादी

Sd/-
20/1/17

श्री देवीसिंह वकील प्रतिवादी 1 से 5 व 1 से 11 एवं 18, 19

मुकदमां नम्बर :— 63/2015 निर्णय दिनांक :— 20.1.17

निर्णय

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि ग्राम बरजन के खसरा नम्बर 335 रकबा 11.15 हैक्टयर, खसरा नम्बर 336 रकबा 15.68 हैक्टयर कुल रकबा 26.83 हैक्टयर भूमि में 1/4 हिस्सा गुल्लाराम की का था गुल्लाराम जी के कोई जायन्दा पुत्र सन्तान नहीं होने से गुल्लाराम जी ने वादी धन्नाराम को गोद लिया तथा वादी ने ही गुल्लाराम की जीवन पर्यनत सेवा सुश्रवा की व उनके देहान्त के बाद समस्त मृतक कियाकर्म किऐ जिसके आधार पर गुल्लाराम का वादी जाईज दत्तक पुत्र होने से गुल्लाराम जी के 1/4 हिस्से की भूमि पर उनके जीवनकाल से ही काबिज काश्त हैं तथा 1/4 हिस्सा प्रतिवादी 1 से 6 सिति हैं प्रतिवादी 1 से 6 ने अपने हक हिस्से की भूमि में से 0.16 हैक्टयर भूमि प्रतिवादी 7 को बैचान की हैं तथा 1/4 हिस्सा प्रतिवादी 8 से 11 के कब्जे काश्त में हैं व 1/4 हिस्सा प्रतिवादी 12 से 19 की खातेदारी कब्जे काश्त में दर्ज चला आ रहा हैं वादी व प्रतिवादीगण के बीच उक्त भूमि में अपने अपने हक हिस्से की भूमि का मौके पर भौतिक रूप से बंटवारा कर अलग अलग काबिज काश्त चले आ रहे हैं लेकिन राजस्व रिकार्ड में उक्त भूमि का विधित रूप से बंटवारा नहीं हो रखा हैं संयुक्त रूप से खातेदारी दर्ज चली आ रही है। वादी व प्रतिवादी ने मौके पर बंटवारा कर कब्जे काश्त अनुसार जैसे काबिज काश्त हैं उसका नजरी नक्शा वाद के साथ दिया गया हैं जिसके अनुसार वादी व प्रतिवादीगण काबिज काश्त चले आ रहे हैं तथा इसी अनुसार माफिक भौतिक बंटवारे के अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड बंटवारा घोषित करवान चाहते है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया दिनांक 12.10.15 को प्रतिवादी 1 से 5 व 8 से 11 एवं 18,19 ने जरिये अभिभाषक इकबालिया जवा पेश कर वादी का वाद स्वीकार किया हैं तथा शेष प्रतिवादीगण के सम्मन तामील होने के बाजवूद न्यायालय में बार बार अवाज लगाऐ जाने पर उपस्थित नहीं होने पर एक पक्षीय कार्यवाही की गई वादी स्वंय व गवाहों के शपथ पत्र पेश किऐ जो शामिल मिसल किऐ जाकर उभय पक्षकारा ने अधिवक्ताओं की बहस सुनी जाकर वादी का वाद प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नांवा को बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर पेश करने हेतु लिखा गया। तहसीलदार नांवा ने अपने पत्रांकः भू.अ./2017/349 दिनांक 20.01.2017 के अनुसार बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर पेश किया जिसकी प्रति दोनों अधिवक्तओं को उपलब्ध करवायी गई जिसका अवलोकन कर वकील वादी व प्रतिवादीगण ने बंटवारा प्रस्ताव को सही होना स्वीकार करते हुऐ माफिक बंटवारा प्रस्ताव वादी का वाद डिकी किया जाकर बंटवारा घोषित किऐ जाने का निवेदन किया गया। जिस पर वकील वादी व वकील प्रतिवादी की बहस सुनी गई पत्रावली एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावजात का अवलोकर पर बंटवारा प्रस्ताव को स्वीकार करने से वादी का वाद साबिता होता है।

20/1/17

उपखण्ड अधिकारी

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर इस प्रकार से डिक्री किया जाता हैं कि ग्राम बरजन के खसरा नम्बर 335, 336 कुल रकबा 26.83 हैक्टयर भूमि में बंटवारा प्रस्ताव माफिक 1/2 हिस्से यानि 13.4150 हैक्टयर भूमि में खसरा नम्बर 335 में से 3.243750 हैक्टयर व खसरा नम्बर 336 में से 0.11 हैक्टयर भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं, खसरा नम्बर 335 में से 2.59215 हैक्टयर व खसरा नम्बर 336 मे से 0.6016 हैक्टयर कुल रकबा 3.19375 हैक्टटर भूमि का प्रतिवादी 2 से 6 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। खसरा नम्बर 335 में से 0.16 हैक्टयर भूमि का प्रतिवादी 7 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं खसरा नम्बर 335 में से 0.900175 हैक्टयर व खसरा नम्बर 336 में से 0.7767 हैक्टयर कुल रकबा 1.676875 हैक्टयर भूमि का प्रतिवादी 8 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं, खसरा नम्बर 335 में से 0.740175 हैक्टयर व खसरा नम्बर 336 में से 0.7767 हैक्टयर कुल रकबा 1.516875 हैक्टयर भूमि का प्रतिवादी 9 से 11 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं , खसरा नम्बर 335 में से 1.117950 हैक्टयर भूमि का प्रतिवादी 12 से 14 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं इसी प्रकार खसरा नम्बर 335 में से 1.1179 हैक्टयर भूमि का प्रतिवादी 15 से 17 को खातेदार घोषित किया जाता हैं व खसरा नम्बर 335 मे से 1.1179 हैक्टयर भूमि का प्रतिवादी 18 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं, खसरा नम्बर 335 में से 0.16 हैक्टयर भूमि प्रतिवादी 31 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तथा खसरा नम्बर 335, 336 कुल रकबा 26.83 हैक्टयर में से शेष 1/2 हिस्से की भूमि प्रतिवादी 20 से 28 की खातेदारी में यथावत रहेगी। बंटवारा प्रस्ताव में उत्तर से दक्षिण डेटेट लाई पर 24 फुट चौड़ा रास्ता रहेगा जिसमें कोई भी प्रकार बाधा उत्पन्न नहीं करेगा। तदुनुसार वादी व प्रतिवादीगण की खातेदारी में दर्ज कर बंटवारा प्रस्ताव में वर्णित नजरी नक्शे अनुसार अलग अलग होल्डिंग कायम की जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। नियमानुसार स्टाम्प पेश होने पर डिक्री पर्चा जारही हो।

यह आदेश आज दिनांक 20.1.17 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एस.एम.शाह)
उपखण्ड अधिकारी, नांवा